विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-19/15

मे0 सुपर प्लास्टिक दाना, — आवेदक
द्वारा — डा0 ए0ए0 खान पुत्र स्व0 मो0 नजीर खान,
निवास — 3286/16 ए — आदर्श कालोनी,
आधारताल, जबलपुर (म0प्र0) — 482 002

विरूद्ध

प्रबंधक संचालक, — अनावेदक
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर,
जबलपुर (म0प्र0) —482008

आदेश
(दिनांक 18.09.2019 को पारित)

01. मेसर्स सुपर प्लास्टिक दाना, द्वारा — डा0 ए0ए0 खान पुत्र स्व0 मो0 नजीर खान, निवास — 3286/16 ए — आदर्श कालोनी, आधारताल, जबलपुर (म0प्र0) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर द्वारा जारी प्रकरण क्रमांक 67/2015 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2015 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 22.05.2018 पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

02. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के आदेश दिनांक 30.04.15 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो कि विद्युत लोकपाल कार्यालय में एल00—19/15 पर दर्ज किया गया । इस प्रकरण में सुनवाई हेतु विभिन्न तिथियों में नोटिस जारी कर आवेदक को उपस्थित होने हेतु अवगत कराया गया था, किन्तु आवेदक/आवेदक प्रतिनिधि की लगातार अनुपस्थिति के कारण दिनांक 05.12.15 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नस्तीबद्ध कर दिया गया था, जिसकी सूचना आवेदक को पत्र क्रमांक 309 दिनांक 08.12.2015 द्वारा प्रेषित कर दी गई थी ।

03. उक्त प्रकरण नस्तीबद्ध किए जाने के पश्चात् आवेदक द्वारा दिनांक 22.05.2018 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय विद्युत लोकपाल महोदय की ओर से जारी नोटिस आवेदक को प्राप्त नहीं होने से वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सका। आवेदक के प्रकरण को दिनांक 05.12.2015 को अद्म पैरवी में खारिज कर दिया गया, जिसकी सूचना व जानकारी भी आवेदक को प्राप्त नहीं हुई । आवेदक द्वारा प्रति अपीलार्थी के स्थानीय आफिस से भी जानकारी ली गई किन्तु आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई की तिथि तथा उसमें जारी आदेश की जानकारी नहीं हुई । आवेदक को दिनांक 27.04.2018 को एम.पी.ई.आर.सी. की बेवसाईट से आदेश दिनांक 05.12.2015 की जानकारी पहली बार प्राप्त हुई कि आवेदक के प्रकरण को निरस्त कर दिया गया है। आवेदक द्वारा निवेदन किया गया कि उपरोक्त प्रकरण में जो भी स्थिति बनी उसमें आवेदक को नोटिस से जानकारी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए आवेदक का मामला सद्भाविक है और आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को मेरिट पर निराकरण किया जाना आवश्यक है ।

04. आवेदक के उक्त अभ्यावेदन दिनांक 22.05.18 में किए गए निवेदन को तत्समय प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा सद्भावनावश स्वीकार करते हुए आवेदक के उपरोक्त प्रकरण को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया गया तथा सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए । प्रकरण में पहली सुनवाई दिनांक 19.07.2018 को आवेदक को नोटिस जारी किया गया, किन्तु तत्समय विद्युत लोकपाल का पद रिक्त होने के कारण सुनवाई की तिथि बढ़ाई जाती रही और नए विद्युत लोकपाल के द्वारा पद–ग्रहण करने के बाद पत्र क्रमांक 387 दिनांक 15.04.19 से आवेदक को दिनांक 01.05.2019 को सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया । दिनांक 01.05.19 की सुनवाई में आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए । श्री आकाश साहू अधिवक्ता (मो0 नं0 9630227770) कथित आवेदक प्रतिनिधि उपस्थित, किन्तु उनके पक्ष में आवेदक/आवेदक अधिवक्ता द्वारा जारी अधिकार पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । उनके द्वारा कथन किया गया था कि उन्हें प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और वे सिर्फ प्रकरण में सुनवाई की अगली दिनांक की जानकारी प्राप्त करने बाबत् उपस्थित हुए हैं ।

05. विद्युत लोकपाल ने आवेदक एवं अनावेदक की दिनांक 01.05.2019 की सुनवाई में अनुपस्थिति पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 22.05.18 का सुक्ष्मतापूर्वक एवं सावधानीपूर्वक अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में आवेदक द्वारा घोर

लापरवाही का परिचय दिया गया है, क्योंकि विद्युत लोकपाल के समक्ष पहली बार प्रस्तुत अपील जो कि कार्यालय में 16.07.15 को प्राप्त हुई में आवेदक ने एक अधिवक्ता को भी अपना पक्ष रखने हेतु वकालतनामें के जरिए अधिकृत किया था । किन्तु न तो आवेदक ना ही उनके अधिकृत अधिवक्ता ने विद्युत लोकपाल के समक्ष लगातार पांच माह की अवधि में नियत की गई पांच में से एक भी सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की आवश्यकता नहीं समझी । आवेदक का अपने अभ्यावेदन दिनांक 22.05.18 में प्रस्तुत यह तर्क की माननीय विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई हेतु जारी एक भी नोटिस आवेदक को प्राप्त नहीं हुआ इसलिए वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके किसी भी प्रकार से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि आवेदक या उनके अधिकृत अधिवक्ता का दायित्व था कि अपने हित में वे विद्युत लोकपाल के समक्ष अपने प्रकरण की अद्यतन स्थिति से स्वयं अपडेट रखते और तद्नुसार तत्परतापूर्वक स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से विद्युत लोकपाल के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते । प्रकरण से संबंधित सुनवाई की सूचना उनको स्पीड पोस्ट से भेजे जाने के साथ–साथ माननीय विद्युत नियामक आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध थी और आवेदक की जिम्मेंदारी थी कि वे नियमित रूप से इस वेबसाईट से सुनवाई दिनांक की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करते । जुलाई 2015 में अपील प्रस्तुत करने से लेकर दिसम्बर 2015 में प्रकरण नस्तीबद्ध किए जाने का निर्णय लिए जाने के बाद भी इस पूरी ढाई वर्ष से अधिक अवधि में आवेदक ने न तो माननीय आयोग की वेबसाईट से न ही विद्युत लोकपाल कार्यालय से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया ना ही इसकी आवश्यकता महसूस की । अपने अभ्यावेदन में प्रस्तुत सूचना के अनुसार आवेदक को अपील निरस्त किए जाने संबंधी जानकारी पहली बार दिनांक 27.04.18 को प्राप्त हुई, जब उनके द्वारा माननीय आयोग की वेबसाईट के माध्यम से उक्त आदेश की आर्डरशीट की कॉपी निकलवाई गई । स्पष्टतः आवेदक द्वारा दिनांक 27.04.18 को जो कार्यवाही की गई वह उनके द्वारा अपील प्रक्रियारत रहने के दौरान भी की जा सकती थी या की ही जानी चाहिए थी किन्तु ऐसा न करना केवल और केवल आवेदक की घोर लापरवाही को दर्शाता है । चूंकि आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण की समीक्षा नहीं की जा सकी, इसलिए अगली सुनवाई की तारीख दिनांक 04.06. 2019 निर्धारित करते हुए आवेदक को क्रमांक 419 दिनांक 06.05.2019 से सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया ।

06. दिनांक 04.06.19 की सुनवाई में भी आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए एवं श्री आकाश साहू अधिवक्ता (मो0 नं0 9630227770) कथित आवेदक प्रतिनिधि उपस्थित हुए जिन्होंने कथन किया कि उन्हें प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और वे सिर्फ प्रकरण में सुनवाई की अगली दिनांक की जानकारी प्राप्त करने बाबत् उपस्थित हुए हैं ।

07. इसी प्रकरण में पूर्व में अगस्त 2015 से लेकर दिसम्बर 2015 तक की अवधि में भी विभिन्न तिथियों में आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी कर सूचित किया गया था, किन्तु इस सम्पूर्ण अवधि में वे एक बार भी अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए । वर्तमान में उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए पुनः सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया, किन्तु अब तक की सुनवाई में उनके द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया ।

08. प्रकरण में माननीय विद्युत नियामक आयोग के विनियम 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009' की निम्न कण्डिकाओं 4.19 एवं 4.28 का अवलोकन किया गया :–

> *"**4.19.** दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात ही, विद्युत लोकपाल अभ्यावेदन पर अपना निर्णय देगा ।"*
>
> *"**4.28.** विद्युत लोकपाल पक्षों को सुनवाई के लिये अवसर प्रदान करने के बाद उनके अभिवचनों के आधार पर प्रकरण पर निर्णय देगा । विद्युत लोकपाल, विस्तृत कारणों के साथ, जैसा कि वह प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर उचित समझे, अपना निर्णय संसूचित करेगा ।"*

उक्त कण्डिकाओं से स्पष्ट है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अनिवार्यतः उनके अभिवचनों के आधार पर ही विद्युत लोकपाल द्वारा कोई निर्णय लिया जा सकता है । इन कण्डिकाओं के साथ विद्युत लोकपाल इस बात का संज्ञान लेते हैं कि आवेदक के विशेष निवेदन पर वर्ष 2015 में नस्तीबद्ध किए गए उनके अभ्यावेदन पर सद्भावनावश तीन वर्ष बाद फिर से सुनवाई का अवसर दिया गया एवं अपेक्षा थी कि आवेदक प्रकरण में तत्परता से अपना स्पष्ट व प्रमाणिक पक्ष प्रस्तुत करेंगे, किन्तु लगभग 4 वर्ष की अप्रत्याशित लंबी अवधि व्यतीत होने के बाद भी आवेदक स्वयं या उनके अधिकृत अधिवक्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से पर्याप्त अवसर दिए जाने के

उपरांत भी अपना पक्ष विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित रहने में विफल रहे हैं । अतः आवेदक/आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता की लगातार अनुपस्थिति से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो पाने के कारण प्रकरण खारिज कर समाप्त किया जाता है।

09. उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल